

:: कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ::

प्रारूप -6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

—: सेवानिवृत्ति आदेश :—

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक:—शिविरा/मा/संस्था/बी-2/45001/ सेवानिवृत्तियां—
प्रधानाचार्य/2022-23/2022/2-13 दिनांक 21 फरवरी 2022 द्वारा श्री तिलकराज पंकज प्रधानाचार्य,
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तिजारा, अलवर (जन्मतिथि 21.11.1962 सेवानिवृत्ति तिथि 30.11.2022)
के सेवानिवृत्ति आदेश प्रसारित किये गये थे। तत्पश्चात इनके विरुद्ध सीसीए नियम-17 के अन्तर्गत
कार्यवाही प्रक्रियाधीन थी। श्री तिलकराज पंकज के विरुद्ध जारी विचाराधीन विभागीय जांच प्रकरण
आदेशांक शिविरा/माध्य/वि.जांच/सी/11400(46)/2018-19/2019/78 दिनांक 19.07.2022 द्वारा
समाप्त (DROP) हो चुका है।

अतः श्री तिलकराज पंकज, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तिजारा, अलवर के
संबंध में यह प्रमाणित किया जाता है कि, इनके विरुद्ध आज दिनांक तक—

- 01 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के
अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 02 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) के नियम-19 के अधीन कोई विशेष
प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 03 कोई न्यायिक कार्यवाहियाँ विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:शिविरा-मा/संस्था/बी-2/45002/प्रधानाचार्य/सेवानिवृत्तियां/2022-23/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

- 01 संबंधित सयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय।
- 02 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक।
- 03 संबंधित सयुक्त-निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग।
- 04 सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के काम में।
05. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
06. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को पाबन्द किया जाता है कि विभागीय आदेश क्रमांक
शिविरा/माध्य/वि.जांच/11400(46)/2018-19/2019/78 दिनांक 19.07.2022 में प्रदत्त निर्देशों
की अक्षरशः पालना करते हुए वांछित कार्यवाही सुनिश्चित करावे अन्यथा आप स्वयं व्यक्तिशः रूप से
उत्तरदायी रहेंगे।
07. संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक को पालनार्थ।
- 08 रक्षित/निजी पत्रावली।

सयुक्त निदेशक (कार्मिक)